की नीयत हमेशा से प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने की रही है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। दिनांक 14.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 अपनी भूमि की बिना नाप कराये प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 61 की पूर्वी सीमा से करीब 10 गठ्ठे अन्दर की भूमि से अन्दर घुसकर जबरन गड्डू गाडने हेतु मजदूरों को लेकर आ गया तथा प्रार्थीगण की भूमि में करीब 10 गठ्ठे अन्दर गड्डे खोदने लगा जिससे मौके पर लडाई होने की आशंका बन गई। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त कृषि में किसी भू–भाग पर जबरन अतिक्रमण करने की चेष्टा न करे तथा खसरा नम्बर 87/1 की पश्चिमी सीमा पर कोई तारबन्दी डौल, पुख्ता निर्माण न करे व न ही दीगर से करावे। इसलिए खसरा नम्बर 61, 87/1 स्थित ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया तहसील बस्सी जिला जयपुर के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मिथ्या एवं आधारहीन है। बल्कि प्रार्थीगण संख्याबल में अधिक है और जबरन खसरा नम्बर 87/1 में कब्जा संख्याबल का फायदा उठाते हुए जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मिथ्या व आधारहिन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उभयपक्षकारान के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः</u>– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नं0 61 रकबा 4.1476 हैक्टेयर वाके ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया प.ह. रामसर पालावाला भू.अ.नि. क्षैत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज रिकॉड एवं खसरा नम्बर 87/1 वाके ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया प.ह. रामसर पालावाला भू. अ.नि. क्षैत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में अप्रार्थी संख्या 1 दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में सिद्ध होता है।

<u>सुविधा का संतुलनः</u>– आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में प्रमाणित है।

<u>अपूर्णनीय क्षतिः</u>– चूंकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। मूल दावा जो स्थाई निषेधाज्ञा का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द–बुर्द किया जाता है तों प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

<u>अतः आदेश है किः–</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम तूंगा स्थित आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 4.1476 है0 व खसरा नम्बर 87/1 रकबा 32.2877 है0 स्थित ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया प.ह. रामसर पालावाला भू.अ.नि. क्षैत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर की सीमा कोई तारबन्दी, डौल, पुख्ता निर्माण इत्यादि नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण